प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग० 3982-तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-9-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र०क्र० 403/ -19/96-97 ·

सियाराम पिता हरप्रसाद अहीर
निवासी मैदवारा तहसील व
जिला टीकमगढ --- आवेदक

विरूद्ध

म०प्र० शासन --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3982/III/13 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

20.5.14

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 403 अ–19 /96–97 में पारित आदेश दिनांक 27–9–03 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 12–10–13 प्रस्तुत की गई हैं।

2/ आवेदक के अभिभाषक को अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 403 अ–19 /96–97 में पारित आदेश दिनांक 27–9–03 की सॅसूचना आवेदक नहीं दी गई और आवेदक के नियुक्त अभिभाषक ने भी अपर आयुक्त के आदेश के बारे में सूचना दी। जब पटवारी ने मौके पर दिनांक 23–9–03 को कब्जा हटाने का कहा, तब जाकर 25–9–13 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिया और 7–10–13 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर खर्च की व्यवस्था जुटाकर 17–10–13 को निगरानी की गई है जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार कर सुनवाई की जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–9–03 के अवलोकन पर पाया गया कि जब अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27–9–03

को पारित हुआ है तब अवधि विधान की धारा–5 में वर्णित अनुसार 23–9–03 को पटवारी आदेश के पालन में कब्जा हटाने कैसे पहुंच गया ? सन्देह उत्पन्न करता है और जब अपर आयुक्त का आदेश ही दिनांक 27–9–03 को जारी हुआ है दिनांक 23–9–03 को पटवारी से पता चलने पर दस वर्ष उपरांत 24–9–13 को सागर में पता कर 25–9–33 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन देना– मिथ्या लेख है। स्पष्ट है कि आवेदक स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है जिसके कारण आदेश दिनांक 27–9–03 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 12–10–2013 को अर्थात दस वर्ष से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत निगुरानी के विलम्ब को क्षमा किया जाना संभव नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत आधार बनावटी तथ्यों पर आधारित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य